कार्यालय प्राचार्य, वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज, एटा, उ0प्र0।
Veerangna AvantiBai Lodhi Autonomous State Medical College, Etah, U.P.
Email ID- gmcetah@gmail.com Website- www.asmcetah.org

पत्रांकः मे0का0एटा/2025/4355 दिनांकः 13.11.2025

–:संविदा विज्ञप्तिः–

वीरांगना अवन्तीबाई लोधी (ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज) एटा के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह–आचार्य, एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक–इन–इण्टरव्यू) पद्धति से चयन किया जाना है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जब तक रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार एवं गुरूवार को (अवकाश होने की दिशा में अगले कार्यदिवस) को प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे के मध्य साक्षात्कार प्रस्तावित है। पदों का विवरण एवं नियम शर्ते निम्नवत हैं–

क्र0 सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह–आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी
1	आर्थोपेडिक्स	01	UR	01	SC	01	OBC
						-	-
2	ऑप्थैलमोलॉजी	01	SC	01	SC	-	-
3	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	01	SC	01	UR	-	-
						-	-
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	01	UR	01	OBC	01	UR
5	एनाटमी	-	-	-	-	02	SC
6	एनेस्थीसियोलॉजी	01	OBC	01	SC	-	-
						02	OBC
7	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी	01	UR	01	UR	01	OBC
8	कम्युनिटी मेडिसिन	01	OBC	01	UR	01	EWS
				01	SC	01	OBC
	यू0एच0टी0सी0 (मेडिकल आफिसर – हेल्थ कम–लेक्चरर/सहायक आचार्य)	-	-	-	-	01	EWS
	आर0एच0टी0सी0 (मेडिकल आफिसर – हेल्थ कम–लेक्चरर/सहायक आचार्य)	-	-	-	-	01	SC
9	जनरल मेडिसिन	01	OBC	02	OBC	01	UR
				01	UR	02	OBC
10	जनरल सर्जरी	-	-	01	OBC	-	-
				01	EWS	01	SC
				01	UR		
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ पल्मोनरी मेडिसन	-	-	01	SC	-	-
12	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	01	UR	01	UR
13	पीडियाट्रिक्स	01	EWS	01	OBC	01	UR
14	पैथोलॉजी	01	SC	01	OBC	01	OBC
				01	EWS		
15	फार्माकोलॉजी	01	OBC	01	SC	-	-
16	फिजियोलॉजी	01	SC	01	SC	01	OBC
17	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	OBC	01	UR	01	SC
18	बायोकेमिस्ट्री	01	UR	01	OBC	01	EWS
19	माइकोबायोलॉजी	01	OBC	01	OBC	-	-
20	रेडियो–डायग्नोसिस	01	UR	01	OBC	01	SC
21	साइकियाट्री	-		01	EWS	01	ST
	योग	16		26		23	

नोट–विज्ञापित श्रेणी के सापेक्ष भिन्न श्रेणी के चयन की संस्तुति वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी मिलने तक की जायेगी।
विस्तृत विवरण वीरांगना अवन्तीबाई लोधी, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज, एटा की बेवसाइट asmcetah.org पर उपलब्ध हैं।

NODAL RECRUITMENT CELL FACULTY VALASMC, ETAH

PRINCIPAL
VALASMC, ETAH

—: संविदा पर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैं:—

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0 2,20,000/—प्रतिमाह, सह—आचार्यो का नियत वेतन रू01,60,000/—प्रतिमाह, तथा सहायक आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,20,000/—प्रतिमाह (शासनादेश संख्या—104/2019/5044/71—1—2019—जी—63/2008, दिनांकः 21.11.2019 तथा शासनादेश संख्या—109/2024/176/71—1—2024/71—1001/804/2020 दिनांक—18.07.2024 के अनुसार) एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशनुसार वेतन देय होगा।
2. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
3. पदों की संख्या घट—बढ सकती हैं।
4. **आवेदन शुल्कः**—रूपये. 1000.00 का आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में **"प्रधानाचार्य, वीरांगना अवन्तीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा"** के पक्ष में देय होगा।
5. मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्ति आचार्य को शासनादेश संख्या —250/2018/4067/71—1—2017—जी—63/2008 दिनांकः 02 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत शर्तो के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा।
6. संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हतायें, अनुभव, नियम एवं शर्ते एन०एम०सी०/एम०सी०आई० के नवीनतम/अद्यतन नोटिफिकेशन मानकों के अनुरूप एवं समय—समय पर जारी शासनादेशों/नियमों के अनुसार एवं उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की संवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार होंगी।
7. **गैर चिकित्सा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नवीन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांकः 30 जून 2025 के बिन्दु संख्या—11 के अनुसार की जायेगी।**
8. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या—562/71—1—2020—जी0—63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 के अनुसार जुलाई के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह—आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
9. अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व—प्रमाणित) छायाप्रतियों के 01 सेट बायोडाटा एवं 01 पासपोर्ट फोटो सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों।
10. नियमानुसार आरक्षण लागू होगा एवं समय—समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को संविदा पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा सकता हैं।
11. ओ०पी०डी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
12. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा डयूटी उपलब्ध रहना होगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः साक्षात्कार के उपरान्त बढाया जा सकेगा।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें नियमित नियुक्ति के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती हैं।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को करार के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन तथा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा एवं उसे कोई बोनस देय नहीं होगा।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
18. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि "उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय मे कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं हैं और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"।
19. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ—पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं हैं।
20. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Note-1: A Non-Teaching Consultant Or Specialist Or Medical Officer, Possessing Postgraduate Medical Degree With Ten Years Of Experience In At Least 220 Bedded Government Hospital Shall Be Eligible To Become Associate Professor Of That Broad Specialty And On Such Appointment, Shall Be Required To Undergo Basic Course In Medical Education And Basic Course In Biomedical Research Within Two Years Of The Appointment.

Note-2: Non-Teaching Consultant Or Specialist Or Medical Officer, Possessing Postgraduate Medical Degree With At Least Ten Years Of Experience In A Government Hospital Having At Least 220 Beds Shall Be Eligible To Become An Assistant Professor Of That Broad Specialty Without The Requirement Of Experience As Senior Resident And Shall Complete The Basic Course In Biomedical Research Within Two Years Of Appointment

Note-3: Diploma Holders Appointed As Seniorresidents In A Recognised Medical Institution Before 08.06.2017 Having Total Experience Of Four Years As Senior Resident; Or diploma Holders Working As Specialist Or Medical Officer In The Respective Departments Of A Government Medical Institution Or Government Medical Institution Running National Board Of Examination And Medical Science Recognized Teaching Programme Having Cumulative Experience Of Six Years.

13/11/25

NODEL RECRUITMENT
CELL FACULTY
VALASMC, ETAH

प्रधानाचार्य
वीरांगना अवन्तीबाई लोधी
ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कालेज
एटा

PRINCIPAL
VALASMC, ETAH